(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., DELHI-110054.

Dated: the 19/6/2014

NOTIFICATION

No. F. 8(34)/2014/DAM/MR / 945 . – Whereas the Lt. Governor considers it necessary that the regulation of marketing of "Fruits and Vegetables" agricultural produce pertaining to such items under the clause 'VII. Fruits -' and 'XIV. Vegetables -' as shown in THE SCHEDULE of the Act, by the three Marketing Committees namely, APMC, MNI, Azadur; APMC, Keshopur and APMC, Shahdara shall cease in their respective market areas in the National Capital of Territory of Delhi.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 read with section 4 (4) of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare his intention of ceasing the regulation of marketing of such agricultural produce of "Fruits" and "Vegetables" in the respective market areas of the above mentioned marketing committees in the National Capital Territory of Delhi.

The Lt. Governor is further pleased to direct that any objection or suggestions regarding the proposal of ceasing of regulation of marketing of the aforesaid agricultural produce in the respective market areas of the above mentioned marketing committees in the National Capital Territory of Delhi, should be sent to the Director, Directorate of Agricultural Marketing, Government of NCT of Delhi, 49, Shamnath Marg, Delhi-110054 within 45 days of the publication of this notification in the official Gazette.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE
LT. GOVERNOR OF THE NATIONAL CAPITAL
TERRITORY OF DELHI

19.6.14
(V. P. RAO)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F. 8(34)/2014/DAM/MR/ 946 - 958 Dated: 19/6/2014

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
6. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
7. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
8. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Delhi and Flower Marketing Committee, Delhi.
9. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
10. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
11. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
12. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
13. Guard file.

(V. P. RAO)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–4 में प्रकाशनार्थ)

कृषि विपणन निदेशालय

(विकास विभाग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

दिनांक : 19/6/2014

अधिसूचना

सं0फा0 8(34)/2014/डीएएम/एमआर/945 .–जबकि उपराज्यपाल यह आवश्यक समझते हैं कि तीन विपणन समितियां अर्थात् कृषि उपज मण्डी समिति, राष्ट्रीय महत्व की मण्डी, आजादपुर, कृषि उपज मण्डी समिति, केशोपुर तथा कृषि उपज मण्डी समिति, शाहदरा द्वारा अधिनियम की अनुसूची में खण्ड 'VII. फल–' और 'XIV. सब्जियां–' के अंतर्गत दर्शाई ऐसी मदों से सम्बन्धित कृषि उपज "फल और सब्जियों" के विपणन का विनयमन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अपने–अपने मण्डी क्षेत्रों में समाप्त हो जाएगा।

अतः अब दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं. 7) की धारा 4(4) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में उक्त उल्लिखित विपणन समितियों के अपने–अपने मण्डी क्षेत्रों में "फलों और सब्जियों" के ऐसी कृषि उपज के विपणन के विनियमन को समाप्त करने सम्बन्धी अपने इरादे की घोषणा करते हैं।

उपराज्यपाल पुनः निदेश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में उक्त उल्लिखित विपणन समितियों के अपने–अपने मण्डी क्षेत्रों में पूर्वोक्त कृषि उपज के विपणन के विनियमन को समाप्त करने के प्रस्ताव सम्बन्धी कोई आपत्ति या सुझाव शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से 45 दिन के भीतर निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 49, शामनाथ मार्ग, दिल्ली–110054 को भेजी/भेजे जानी/जाने चाहिए।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

19.6.14

(वी. पी. राव)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं0फा0 8(34)/2014/डीएएम/एमआर/946-958 दिनांक : 19/6/2014

प्रतिलिपिः–

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

4 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।

5 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

6 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।

7 उप–सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग–4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).

8 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राश्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, के ोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, दिल्ली एवम पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।

9 उप–सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

10 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

11 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

12 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।

13 गार्ड फाईल।

19.6.14

(वी. पी. राव)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार